




अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद ।

विधि वाद सं० १२ (१) / २०१८-१९

दिनांक	आदेश फलक	अभिवृत्ति
<p>११/०९/१८</p> <p>२५/१०/१८</p>	<p>आवेदक श्री मुनीरुल हसन पिता स्व अब्दुल सलाम साठ मिसलीपाड़ा, हीरपुर, धनबाद द्वारा मौजा बरमसिया मौजा नं० ४९ खाता नं० नगरपालिका प्लॉट नं० ५३२ रकबा ०१ कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज के अनुसार जमाबंदी सं० टिकुरी १०८ दर्ज है। परन्तु वर्तमान में उक्त जमाबंदी फट चुका है जिसे पुनर्लेखन हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस रकबा में राजस्व कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग करे। अभिलेख दिनांक २५/१०/१८ को रखें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन समर्पित। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा मौजा बरमसिया मौजा नं० ४९ खाता नं० नगरपालिका प्लॉट नं० ५३२ रकबा ०१ कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज के अनुसार टिकुरी जमाबंदी सं० १०८ में दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हुआ है। परन्तु वर्तमान में उक्त जमाबंदी फट चुका है। उक्त जमाबंदी से संबंधित दाखिल खारिज की सच्ची प्रतिलिपि आज की तिथि से जिला अभिलेखागार से निकाला गया है। जिसे राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने पुनर्लेखन हेतु अनुशंसा किया है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा बरमसिया मौजा नं० ४९ खाता नं० नगरपालिका प्लॉट नं० ५३२ रकबा ०१ कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज के अनुसार टिकुरी जमाबंदी सं० १०८ में दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हुआ है। परन्तु वर्तमान में उक्त जमाबंदी फट चुका है। जिसे पुनर्लेखन करने हेतु राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p> </div> </p>	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

झांपाक 8456 दिनांक 06/11/18

प्रेषित.

श्री निरोज कुमार
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं0 03,
धनबाद अंचल, धनबाद।

आपके जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि कि मौजा मौजा बरमसिया मौजा नं0 49 खाता नं0 नगरपालिका प्लॉट नं0 532 रकवा 01 कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज के अनुसार टिकुरी जमाबंदी सं0 108 में दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हुआ है। परन्तु वर्तमान में उक्त जमाबंदी फट चुका है। जिसे पुनर्लेखन करें।

अंचल अधिकारी
धनबाद

श्रीमान

अंचल अधिकारी,
घनवाद।

द्वारा: अंचल निरीक्षक, घनवाद।

विषय: मुनीरुल हसन की आवेदन शैयमविधत जॉय प्रविदन।

महाशय,

आवेदन में उल्लिखित विषय मौजा करमसिया मौजा सं 49 प्लॉट सं 532 शैयमविधत है जो शैयती खाते में है। आवेदक द्वारा संलग्न रसीद के अनुसार पजी एचि जॉय किया तो पाया कि प्लॉट 108 टिकुरी का प्रथम नवी है। संलग्न रसीद मुनीराज हसन पिता अबदुल हसन के नाम से निर्गत है जिसमें वार्ड सं 4 हो. नं 110 प्लॉट के 532 रकबा। कड़ा अंकित है। रसीद में रकबा संख्या अंकित नही है। एगल रसीद वर्ष 90 तक निर्गत है जो संलग्न है। पलोज सं 40 53 दिनांक 21/6/88 संलग्न है जिसमें प्लॉट सं 532 रकबा 1 कड़ा अंकित है। आवेदन में दाखला शैयमविधत आदेश संख्या 108 टिकुरी का संलग्न है। जमीन पर आवेदक का कब्जा है। आवेदन इन कागजात के आलोक में उक्त जमाबंदी पुनर्लिखन करने का आदेश किया गया है। अतः उक्त जमाबंदी सं 108 टिकुरी पुनर्लिखन किया जा सकेगा।

महाशय
10-11-2019
अ. निरीक्षक
अ. निरीक्षक
अ. निरीक्षक

अ. निरीक्षक
अ. निरीक्षक
अ. निरीक्षक

विश्वास राजन
[Signature]

अ. निरीक्षक आभारी रहेंगा।